न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 39 / 2021 GCMS No.—2021/60

राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उम्र 40 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. सत्यनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा उम्र 62 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय शर्मा उम्र 55 वर्ष जाति हरियांणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. गोपाल पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद उम्र 42 वर्ष निवासी भांकरोटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद उम्र 62 वर्ष निवासी भांकरोटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. रश्मी उर्फ रज्जो पत्नी गोपाल शर्मा पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद उम्र 44 वर्ष निवासी भांकरोटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। हाल निवासी 38, विद्या विहार जगतपुरा जयपुर।
7. गोपाली पुत्री स्व. श्री रामसहाय शर्मा पत्नी श्री रामेश्वर शर्मा उम्र 67 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी हाल ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ग्राम भांकरोटा तह. सांगानेर, जिला जयपुर।
8. श्रीमती भौरी देवी उर्फ भूरी देवी पत्नी घनश्याम शर्मा पुत्री स्व. श्री रामसहाय शर्मा उम्र 72 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भांकरोटा तह. सांगानेर जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
9. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री सीताराम शर्मा पुत्री स्व. श्री रामसहाय शर्मा उम्र 63 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम मदाउ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्री स्व. श्री रामसहाय शर्मा उम्र 59 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम मदाउ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 396 दिनांक 21.09.2019 जो आदेश दिनांक 21.11.2019 को स्वीकार किया गया वाके ग्राम केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू.अ. क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयुपर निरस्त किये जाने बाबत।

———————

उपस्थितः—

1. श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री देवेन्द्र कुम्भज अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट 2 लगायत 9 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 17.05.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 21.11.2019 जिससे नामान्तरकरण संख्या 396 वाके ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 के नाम स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.08.2021 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुम्भज उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 9 स्व. रामसहाय के वारिसान है। स्व. श्री रामसहाय के जीवनकाल में उनके बडे पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा एवं पत्नी गुलाब देवी का देहांत हो गया। उनके बडे पुत्र की मृत्यु के उपरांत उनके विधिक वारिसान अपीलांट एवं प्रत्यर्थी संख्या 4, 5, 6 रहे। अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 4 व 6 के दादा एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 के ससुर व प्रत्यर्थी संख्या 2, 3व 7 लगायत 10 के पिता स्व. रामसहाय की मृत्यु के उपरांत उनके कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 688 रकबा 0. 38 है0 पर कब्जे काश्त है जो वाके ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर में स्थित है। स्व. श्री रामसहाय की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त सम्पत्ति में अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/28 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2,3 व 7 लगायत 10 का प्रत्येक का. बराबर–बराबर 1/7 हिस्सा विरासत में नियत हो गया। अपीलांट एवं रेस्पा0 के पूर्वज रामसहाय की मृत्यु के उपरांत विरासत में उपरोक्त अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया जाना था परन्तु त्रुटिवश नामान्तकरण का इंद्राज अपीलांट व रेस्पा0 2 लगायत 10 के नाम बराबर–बराबर 1/10 हिस्सा दर्ज हो गया जो विधि विरूद्व होने से गलत है। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 11.11.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपील अविलम्ब माननीय न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2019 नामान्तकरण संख्या 396 अपास्त किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जावे कि खसरा नंबर 688 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर का विरासत में रेस्पा0 संख्या 2, 3 व 7 लगायत 10 के नाम प्रत्येक का हिस्सा 1/7 एवं अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 4 लगायत 6 प्रत्येक का 1/28 हिस्सा का इन्द्राज कर नामान्तकरण तस्दीक किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 ने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के कथनो पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि रेस्पा0 को अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स के पूर्वज स्व. रामसहाय के फौत होने पर विरासत के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सजरा रिपोर्ट अनुसार अपीलांट व रेस्पा0 के हिस्से की जांच की नहीं की गयी है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 396 ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर निर्णित दिनांक 21.11.2019 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण स्व. रामसहाय के फौत होने पर मुताबिक सजरा वार्ड पार्षद, शपथ पत्र तहसील आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुसार विरासत के आधार पर दिनांक 21.09.2019 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर पेश किया गया जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 21.11.2019 को तस्दीक किया गया। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि में अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स के निहित हिस्से अनुसार तस्दीक नहीं किया गया है। पत्रावली का मय नामान्तरकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 4, 5, 6 स्व. रामसहाय के पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा के वारिसान है। स्व. जगदीश प्रसाद शर्मा का अपीलाधीन भूमि में सजरा रिपोर्ट अनुसार हिस्सा 1/7 निहित है एवं अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 4 लगायत 6 वारिसान होने के कारण अपीलांट व रेस्पा. संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा प्रत्येक का 1/28 निहित होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने सजरा रिपोर्ट की जांच किये बिना ही अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 10 प्रत्येक का हिस्सा अपीलाधीन नामान्तकरण में 1/10 अंकित कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स के अपीलाधीन भूमि में निहित हिस्से की जांच नही की गयी।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, सांगानेर का आदेश दिनांक 21.11.2019 बाबत नामान्तरकरण संख्या 396 ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर कॉलम संख्या 8 में निहित काश्तकार के हिस्से की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, विधिक प्रावधानो अनुसार अपीलांट व रेस्पा0 के अपीलाधीन भूमि में निहित हिस्से पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर